



I. अपने ग्राहक को जानें (KYC):

म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए, निवेशकों को अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) प्रक्रिया पूरी करनी होगी और ऐसा किसी भी एएमसी के शाखा कार्यालय या आधिकारिक स्वीकृति बिंदुओं पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ पूरा केवाईसी फ़ॉर्म जमा करके किया जा सकता है।

निवेशकों को निम्नलिखित दस्तावेज़ जमा करने होंगे –

- पहचान का प्रमाण – पैन कार्ड की एक प्रति
- पते का प्रमाण – मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या केवाईसी फ़ॉर्म में निर्दिष्ट अन्य दस्तावेज़ों की एक प्रति।

यदि कोई निवेशक पहले से ही केवाईसी सत्यापित है और कोई भी जानकारी (जैसे पता, फ़ोन नंबर आदि) अपडेट करना चाहता है, तो निवेशक संबंधित एएमसी के शाखा कार्यालय या आधिकारिक स्वीकृति बिंदुओं पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ विधिवत भरा हुआ 'केवाईसी विवरण परिवर्तन फ़ॉर्म' जमा कर सकता है।

किसी भी एएमसी के साथ पहले से पंजीकृत बैंक विवरण को अपडेट करने के लिए, निवेशक को एएमसी की वेबसाइट पर उपलब्ध 'बैंक अधिदेश में परिवर्तन फ़ॉर्म' को विधिवत भरकर संबंधित एएमसी के शाखा कार्यालय या आधिकारिक स्वीकृति बिंदुओं पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा।

II. सेबी पंजीकृत म्यूचुअल फंड:

निवेशकों को सूचित निर्णय लेने की सलाह दी जाती है और उन्हें केवल सेबी पंजीकृत म्यूचुअल फंड के साथ निवेश करने के लिए सावधान किया जाता है, जिसका विवरण सेबी की वेबसाइट पर 'मध्यस्थ / बाजार अवसंरचना संस्थान' (<https://www.sebi.gov.in/intermediaries.html>) के तहत सत्यापित किया जा सकता है।

III. शिकायत निवारण:

किसी भी प्रश्न, शिकायत और शिकायत निवारण के लिए, निवेशक संबंधित एएमसी के निवेशक संबंध अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। यदि निवेशक एएमसी द्वारा दिए गए समाधान से संतुष्ट नहीं है, तो वह सेबी अंकS पोर्टल (<https://scores.sebi.gov.in/>) पर अपनी शिकायत दर्ज करके सेबी से संपर्क कर सकता है और/या ऑनलाइन विवाद समाधान पोर्टल (<https://smartodr.in/login>) के माध्यम से शिकायत को आगे बढ़ा सकता है।

म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन हैं, योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।